न्यायालय— द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बैतूल, जिला—बैतूल (म.प्र.)

{समक्ष :— कैलाश नारायण अहिरवार}

Registration No.	200/2024
Filing No.	732/2024
CNR No.	MP4801-005219-2024
Date of Filling	08-07-2024

दिनेश पिता भैय्यालाल फूलकर, उम्र— 54 वर्ष
निवासी— राजेंद्र वार्ड बैतूल बाजार,
तह. व जिला बैतूल (म0प्र0) ————**आवेदक**

//विरूद्ध//

1. **श्यामकिशोर पिता बाबूलाल**
निवासी— गर्ग कालोनी रामनगर बैतूल, तहसील व जिला— बैतूल (म0प्र0) **(वाहन चालक)**

2. **स्मिता देशमुख पिता श्यामकिशोर**
निवासी— गर्ग कालोनी रामनगर बैतूल, तहसील व जिला— बैतूल (म0प्र0) **(वाहन मालिक)**

3. **शाखा प्रबंधक,**
दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पता— गुरूद्वारा रोड बैतूल गंज,
बैतूल, तह. व जिला बैतूल (म0प्र0)
(बीमा कंपनी) ————**अनावेदकगण**

continue..2

आवेदक द्वारा श्रीमती सुनीता पवार अधिवक्ता।
अनावेदक क्रमांक–01, 02 द्वारा श्री एन.के.देशमुख अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 03 द्वारा श्री विनोद टेकाड़े अधिवक्ता।

:: अधिनिर्णय ::

(आज दिनांक– 06.05.2026 को पारित।)

(1) आवेदक द्वारा यह क्लेम याचिका अनावेदकगण के विरूद्ध धारा–166 एवं 140 मोटरयान अधिनियम–1988 के प्रावधानों के तहत दिनांक 31.01.2024 को वाहन दुर्घटना में आवेदक को कारित गंभीर चोटें एवं स्थायी अपंगता के परिणामस्वरूप 6,89,600/–रुपये क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

(3) आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका में वर्णित तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि– दिनांक 31.01.2024 को रात्रि 09:00 बजे वाहन क्र. एमपी 47 एमजे 7574 के चालक अनावेदक क्र. 01 द्वारा अनावेदक क्र. 02 के स्वामित्व के वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर गुरूकृपा अस्पताल के पास बडोरा बैतूल लोक मार्ग पर आवेदक को टक्कर मार दी, जिस कारण उसका पैर टूट गया, जिससे उसे स्थाई अपंगता कारित हुई है, दुर्घटना के कारण वह गुरूकृपा अस्पताल में 15 दिन भर्ती रहा, दुर्घटना में आवेदक के दाहिने पैर की हडडी कुल्हे से घुटना तक टूटने के कारण कुल्हे से घुटना तक रॉड लगायी गयी है, जिस कारण घुटना मुड़ता नहीं । दुर्घटना के संबंध में थाना बैतूल बाजार में अपराध क्र. 55/24 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.स. में अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

(4) दुर्घटना के समय आवेदक की उम्र 55 वर्ष थी, वह ग्राम कोटवार शासकीय कर्मचारी है, दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उसे

continue..3

स्थायी अपंगता कारित हुई है। उसे शासन की ओर से दस एकड़ भूमि दी गयी है, वह खेती कर 3,00,000/–रू वार्षिक आय प्राप्त करता था, परंतु अब चलना फिरना नहीं होता, खेत 1,50,000/–रू पर तीन वर्ष के लिये ठेके से देना पड़ा जिससे उसे 4,50,000/–रू की कृषि आय में कमी आयी है। उसे स्थायी अपंगता के कारण शारीरिक और मानसिक पीड़ा कारित हुई है, अतः विभिन्न मदो के अंतर्गत 6,89,600/– रूपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने की सहायता चाही गयी है।

(5) अनावेदक क्र. 1 एवं क्र. 2 द्वारा आवेदन पत्र का विरोध कर यह उत्तर दिया है कि आवेदक दिनेश द्वारा स्वयं अपनी पत्नी को स्कूटी नं. एमपी 48 एमएक्स 3759 में बैठाकर वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर खड़ी स्कूटी पर टक्कर मार दी, जिससे अनावेदक श्यामकिशोर स्कूटी सहित गिरने से उसे दाहिने कंधे, कोहनी पैर शरीर पर गंभीर चोटें लगी, उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बैतूल बाजार में अपराध क्र. 59/54 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.स. में पंजीबद्ध किया गया, अनावेदक पर झूठा मामला दर्ज किया गया है। आवेदक पूर्णतः स्वस्थ है, वास्तविक तथ्यों के आधार पर आवेदकगण क्षतिपूर्ति राशि किसी भी मद में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, किन्हीं कारणों से अनावेदक क्र. 02 के वाहन को दुर्घटना में लिप्त पाती है तो दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन बीमा कंपनी की संपूर्ण शर्तों एवं नियमों में वाहन को चलाया जा रहा था इसलिये आवेदक को संपूर्ण प्रतिकर की राशि की अदायगी हेतु अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी उत्तरदायी है। अतः उनके विरूद्ध आवेदन निरस्त किया जावे।

(6) अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से आवेदन के अभिवचनों को अस्वीकार कर यह उत्तर दिया है कि दुर्घटना के समय आवेदक की उम्र 61 वर्ष थी, उसका जन्म प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा पेश नहीं किया है, पांच दिवस के विलंब से वाहन को असत्य आधारों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, दुर्घटना के समय आवेदक द्वारा उसकी स्कूटी क्र. एमपी 48 एएक्स 3759 पर उसकी पत्नी को पीछे बैठाकर स्कूटी का चालन बिना

continue..4

ड्रायविंग लायसेंस व बिना हेल्मेट के अत्यधिक तेजी एवं लापरवाही पूर्वक किया जा रहा था, दुर्घटना के समय आवेदक अपनी साली ममता से मोबाईल पर बात कर रहा था, जिस कारण स्कूटी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अज्ञात वाहन में जाकर टक्कर मारी, दुर्घटना आवेदक की स्वयं की एवं अज्ञात वाहन चालक की योगदायी उपेक्षा एवं लापरवाही का परिणाम थी। आवेदक को कोई गंभीर चोटें कारित नहीं हुई है, न ही विकलांगता आयी है। अनावेदक क्र. 01 के वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, विशेष कथन में उत्तर दिया है कि अनावेदक क्र. 01 द्वारा वाहन का चालन बीमा पालिसी की शर्तों, नियमों एवं मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विपरीत बिना वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस के किया जा रहा था, क्योंकि अनावेदक क्र. 01 के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध में धारा 3/181 एवं अनावेदक क्र. 02 के विरूद्ध 5/180 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दुर्घटना के समय आवेदक के पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं था, इसलिये क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है, अतः अनावेदक क्र. 003 के विरूद्ध आवेदन निरस्त किया जावे।

(7) उभयपक्ष के द्वारा किए गए अभिवचन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन उपरांत पूर्व पीठासीन सदस्य द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गए, जिनके निष्कर्ष उभयपक्ष की साक्ष्य के सम्यक विश्लेषण के उपरांत उनके समक्ष अंकित किए गए हैं –

क्र.	**"वाद प्रश्न"**	**"निष्कर्ष"**
01.	क्या दिनांक 31.01.2024 को समय रात्रि 09 बजे गुरूकृपा अस्पताल के पास बडोरा लोक मार्ग पर अनावेदक क्र. 01 ने अनावेदक क्र. 02 के स्वामित्व के वाहन स्कूटी क्र. एमपी 47 एमजे 7574 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर आहत दिनेश को टक्कर मारी, जिससे	**प्रमाणित।**

	आहत दिनेश को गंभीर चोटें कारित होकर स्थायी अपंगता कारित हुई ?	
02.	क्या घटना दिनांक को आवेदक दिनेश फूलकर की उम्र 54 वर्ष थी ?	**उम्र 54 वर्ष प्रमाणित।**
03.	क्या दुर्घटना स्वयं आहत दिनेश फूलकर की उपेक्षा एवं लापरवाही का परिणाम थी ? विकल्प में क्या दुर्घटना योगदायी उपेक्षा का परिणाम थी ?	**आवेदक की 50 प्रतिशत की योगदायी उपेक्षा प्रमाणित।**
04.	क्या दुर्घटना अज्ञात वाहन से कारित हुई है ?	**प्रमाणित नहीं।**
05.	क्या घटना के समय अनावेदक क्र. 01 द्वारा दुर्घटनाकारी वाहन को बीमा पालिसी की शर्तों के उल्लंघन में ड्रायविंग लायसेंस, फिटनेस, परमिट के बिना चलाया जा रहा था, यदि हां तो प्रभाव।	**बिना ड्रायविंग लायसेंस के चलाया जाना प्रमाणित।**
06.	क्या आवेदकगण उक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हां तो कितनी और किससे ।	**हां, अधिनिर्णय की कंडिका क्र. 44, 48 अनुसार ।**
07.	सहायता एवं व्यय।	**अधिनिर्णय की कंडिका क्र. 50 अनुसार ।**

— : : सकारण निष्कर्ष : : —

continue..6

—(वाद—प्रश्न क्रमांक—01, 03, 04 का सकारण निष्कर्ष)—

(8) आवेदक दिनेश फूलकर (आ.सा.1) ने यह अभिकथन किया है कि घटना दिनांक 31.01.2024 को रात्रि 9 बजे की बात है । वह बैतूल बाजार से बैतूल जा रहा था कि बडोरा में गुरूकृपा अस्पताल बडोरा के पास पहुंचा तब उसके रिश्तेदार का फोन आया, तो वह गाड़ी किनारे खड़ी करके मोबाईल से बात कर रहा था, उसकी पत्नी मधुबाला उसके साथ खड़ी थी सामने से एक स्कूटी चालक जिसका नाम श्यामकिशोर था जिसके द्वारा गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसकी गाड़ी में आकर टक्कर मारी, टक्कर मारने से उसे दाहिने पैर में पुटठे के पास चोट लगी जिससे पैर की हडडी टूट गयी, वहां पर चलते फिरते लोगों ने और उसकी पत्नी ने उसे गुरूकृपा अस्पताल पहुंचाया। जिस वाहन ने उसे टक्कर मारी उसकी नंबर एमपी47एमजे7574 है प्रश्नगत वाहन श्यामकिशोर देशमुख चला रहा था।

(9) आवेदक द्वारा अभिकथन किया है कि उसने अपने अभिकथन के समर्थन में दांडिक प्रकरण के दस्तावेज अंतिम रिपोर्ट **प्र.पी.1**, एफआईआर **प्र.पी.2,** अपराध का फार्म **प्र.पी.3,** धारा 133 का नोटिस एवं जवाब **प्र.पी.4**, संपत्ति जप्ती पत्रक **प्र.पी.5,** 161 के मधुबाला के कथन **प्र.पी.6, उसके** पुलिस द्वारा लिये गये कथन **प्र.पी.7,** कृषि भूमि ठेकानामा **प्र.पी.8,** एक्सरे फिल्म **आर्टिकल ए—1**, विकलांगता प्रमाण पत्र **प्र.पी.9,** खसरा किश्तबंदी **प्र.पी.10 लगायत प्र.पी.13,** अस्पताल की डिस्चार्ज समरी **प्र.पी.14,** गुरूकृपा अस्पताल के बिल **प्र.पी.15** लगायत **प्र.पी.30** प्रस्तुत किए हैं तथा बीमा पॉलिसी की छायाप्रति, आधार कार्ड, गुरूकृपा अस्पताल का एक्सरे रिपोर्ट की छायाप्रतियां पेश की हैं।

(10) प्रतिपरीक्षण में साक्षी दिनेश फूलकर आ.सा.1 द्वारा इस बात से इंकार किया है कि उसने अनावेदक क्र.1 को टक्कर मारी थी इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ में भी मामला दर्ज किया गया हैं। स्वतः कहा कि वह जब खड़ा था तो टक्कर मारने का प्रश्न ही नही होता। **यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह खड़ा था यह बात उसके दावा में नही**

continue..7

लिखा गया। जिस गाड़ी को वह चला रहा था वह गाड़ी उसकी पत्नी मधुबाला के नाम से है। जब एक्सीडेंट हुआ तब उसकी स्कूटी पर कोई नही बैठे थे वह बाहर स्कूटी से दोनो एक फिट दूर खड़े थे। एक्सीडेंट होने के बाद दुर्घटनास्थल पर डबल से कभी नही गये।

(11) आवेदक दिनेश आ.सा.1 ने स्वीकार किया है कि उसके विरूद्ध जो दाण्डिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था उसका अंतिम प्रतिवेदन प्र.डी.1 है। स्वतः कहा कि उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लेख की है और रिपोर्टकर्ता की पुत्री तहसीलदार है जिसने उसे रिपोर्ट वापिस लेने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि यदि रिपोर्ट वापस नही लेगे तो मुकादमा दर्ज करा देगे। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपकी स्कूटी का नंबर एमपी48एमएक्स3759 है तो साक्षी ने कहा कि, उसे निश्चित तौर पर याद नही है एवं अन्य दस्तावेज जिनमें आपके विरूद्ध दर्ज एफआईआर के कार्यवाही की गयी है जो **प्र.डी.2 से प्र.डी.15** है। साक्षी ने कंडिका 10 में स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी साली ममता का फोन आया और वह उससे फोन पर बात कर रहा था। फिर कहा कि घटना के पहले साली से बात कर रहा था। उक्त दुर्घटना के सबंध में उसके विरूद्ध जो दाण्डिक प्रकरण में जमानत करवायी है एवं वाहन उसकी पत्नी द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किया हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र.डी.9 आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने का सूचना पत्रक में उसकी पत्नी मधुबाला की फोटो है और उसका नाम उल्लेखित है इसी तरह प्र.डी.10 के दस्तावेज में उसकी फोटो एवं उसका नाम उल्लेखित है। उसके पास ड्रायविंग लायसेंस नही है। स्वतः कहा कि वह गाड़ी नही चलाता है। इस बात से इंकार किया है कि उक्त दुर्घटना सिर्फ उसकी लापरवाही के कारण घटित हुई थी।

(12) प्रतिपरीक्षण में आवेदक द्वारा इस बात से इंकार किया है कि प्र.पी.9 का अपंगता प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व डॉक्टर ने उसका कोई एक्सरे नही लिया था। यह स्वीकार किया है कि दिनांक 11.08.24 विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की कोई एक्सरे रिपोर्ट प्रस्तुत

continue..8

नही की है। इस बात से इंकार किया है कि प्र.पी.9 का दस्तावेज मेडिकल बोर्ड का नही है। स्वतः कहा कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है।

(13) आवेदक साक्षी राजेश माहोरे आ.सा.2 का अभिकथन है कि वह बैतूल बाजार में रहता है, खेती करता हैं, वह दिनेश फूलकर को पहचानता है, वह बैतूल बाजार का निवासी है, गांव कोटवार है दिनेश का एक्सीडेंट के कारण आपॅरेशन हुआ था और रॉड डाली गयी थी । प्रतिपरीक्षण में आवेदक साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दिनेश का एक्सीडेंट होते हुये नही देखा। एक्सीडेंट के पश्चात् दिनेश का कहां–कहां उपचार हुआ और क्या उपचार हुआ इस बारे में कोई जानकारी नही है।

(14) अनावेदक श्यामकिशोर देशमुख अना.सा.1 द्वारा अभिकथन किया है कि दिनांक 31.01.2024 को रात्रि 9:00 बजे के लगभग वह अपने घर गर्ग कॉलोनी से गुरूकृपा अस्पताल बडोरा स्कूटी क्रमांक एमपी 47 एमजे 7574 से जा रहा था कि, वह अपने दाहिने तरफ जाने के लिए रूका था और इंडीकेटर दिया और हाथ से इशारा भी किया परंतु उक्त गाड़ी स्कूटी क्रमांक एमपी48 एमएक्स 3759 का चालक सामने से तेज गति से आया और उसकी गाड़ी स्कूटी में टक्कर मार दी, वह और जिस स्कूटी ने टक्कर मारी थी उसका चालक भी गिर गया था, स्कूटी चालक दिनेश फूलकर था। टक्कर मारने के बाद उसे दाहिने कंधे एवं हाथ में भी चोटें लगी थी उक्त दुर्घटना में उसकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गयी थी। दुर्घटना के दिन वह घर आ गया था फिर दूसरे दिन जिला अस्पताल बैतूल में उसका इलाज हुआ था।

(15) अनावेदक द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में दस्तावेज अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिनकी प्रमाणित प्रतियां **प्र.डी.1**, प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.डी.2**, तहरीर **प्र.डी.3,** एम.एल.सी. **प्र.डी.4** एंव **प्र.डी.5**, जप्ती पत्रक **प्र.डी.6 एवं प्र.डी.7**, 133 का नोटिस **प्र.डी.8,** आरोपी को न्यायालय में उपस्थित रहने की सूचना **प्र.डी.9 एवं प्र.डी.10**, वाहन की मेकेनिकल रिपोर्ट

continue..9

प्र.डी.11, वाहन सुपुर्दनामा आदेश **प्र.डी.12**, मेरे 161 के कथन **प्र.डी.13,** जनकलाल के कथन **प्र.डी.14,** अशोक के कथन **प्र.डी.15** है। स्कूटी की पॉलिसी **प्र.डी.16** है जिसकी छायाप्रति **प्र.डी.16सी** है, मूल लायसेंस **प्र.डी.17** है जिसकी छायाप्रति **प्र.डी.17सी** है। उक्त दुर्घटना में उसने अपनी गाड़ी को धीमी गति से ले जाने का प्रयास कर रहा था सामने वाली गाड़ी चालक ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है।

(16) प्रतिपरीक्षण में अनावेदक श्यामकिशोर अना.सा.01 द्वारा स्वीकार किया है कि शिक्षक है, वर्तमान में केरपानी स्कूल में पदस्थ है, वह मोबाईल इस्तेमाल करता है। घटना दिनांक को उसके पास मोबाईल था। घटना के बाद वह अस्पताल नही गया अपने घर चला गया था। उसने अपने पास मोबाईल होते हुये भी 100, 112 नंबर डायल नही किया और एंबूलेंस को भी नही बुलाया। घटनास्थल से उसका निवास स्थान करीब डेढ़, दो किलोमीटर है वहां से वह स्कूटी चलाते हुये घर गया। घ टना लगभग रात्रि 9 बजे की है। घटना के बाद उसने 6 तारीख को रिपोर्ट की। स्वतः कहा कि उसने घटना दिनांक को रात 12 बजे बैतूल बाजार थाना जाकर लिखित सूचना दी थी जिसकी पावती उसके पास में है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा उसके सामने नही बनाया। रिपोर्ट करने के पश्चात पुलिस वालो ने उसके कोई कथन नही लिये।

(17) प्रतिपरीक्षण में अनावेदक श्यामकिशोर अना.सा. 1 द्वारा स्वीकार किया है कि स्मिता देशमुख उसकी बेटी है। विवादित वाहन उसकी बेटी के नाम पर दर्ज है। उसकी बेटी स्मिता तहसीलदार है वर्तमान में बालाघाट में तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। दुर्घटना के समय ड्रायविंग लायसेंस रि न्यूव नही किया था। दुर्घटना और लायसेंस के बीच वाहन चलाते रहा। वाहन चलाने में कोई परेशानी नही हुई। लायसेंस रिनेवल के समय पूर्ण रूप से चिकित्सीय परीक्षण होने पर फिट पाया और उसका लायसेंस रिनेवल हुआ। गिरने के कारण चोटें आयी थी। दिनांक 31.01.24 की घटना है और उसका मुलाहिजा दिनांक 05.02.2024 को हुआ है। उसे इस बात की जानकारी थी कि, दिनेश फुलकर ने उसके खिलाफ

continue..10

रिपोर्ट की है। इसी अपराध से संबंधित उसकी बेटी और उसका मामला चल रहा है। दिनेश ने उस पर केस कर दिया था उसके बाद उसने वकील से सलाह ली थी कि क्या करना है। उसने जो मेडिकल रिपोर्ट पेश किया है उसमें डॉक्टर साहब ने साधारण चोटें बतायी है।

(18) प्रतिपरीक्षण में अनावेदक साक्षी श्यामकिशोर देशमुख अना.सा. 01 द्वारा स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना में उसकी कोई गलती नही थी। स्वतः कहा कि, वह बिल्कुल खड़ा ही हो गया था। उक्त दुर्घटना में उसे भी चोटें आयी थी। उसके द्वारा उक्त दुर्घटना के संबंध में आवेदक दिनेश के विरूद्ध भी रिपोर्ट की थी।

(19) उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा आवेदक की ओर से अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी 01 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जिसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि श्यामकिशोर के विरूद्ध पुलिस द्वारा 279, 337, 338, भा.दं.वि एवं धारा 3/181, 5/180 मो.व्ही.एक्ट का अपराध सिद्ध पाते हुये अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। एफआईआर प्र. पी 2 में घटना दिनांक 31.01.24 की है एवं दिनांक 05.02.24 को दर्ज करायी गयी है, इसके पूर्व घटना दिनांक 31.01.24 को ही गुरूकृपा मल्टीस्पेशिलस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर बैतूल में आहत को भर्ती कराया गया है, जिसमें दुर्घटना में आयी चोटों का उल्लेखित करते हुये आवेदक भर्ती रहा है, इसका उल्लेख प्र.पी 14 में चिकित्सक द्वारा किया गया है। चूंकि रिपोर्ट विलंब से दर्ज करायी गयी है, किन्तु रिपोर्ट एवं मेडिकल दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि दाहिने पैर में गंभीर चोट आकर फ्रेक्चर हुआ था इस स्थिति में आहत का तुरंत रिपोर्ट कराया जाना संभव नहीं था, इस स्थिति में मात्र विलंब के आधार पर मामले को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता। यह विधि सुस्पष्ट है कि, केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज किये जाने के आधार पर क्लेमेंट के मामले पर संदेह नही किया जा सकता। इस बिंदू पर **''न्यायदृष्टांत रवि वि. बद्रीनारायण ए.आई.आर.2011 एस.सी. 1226 मे प्रतिपादित न्याय सिंद्वात अवलम्बनीय है''।**

continue..11

(20) इसके साथ ही धारा 133 मो.व्ही.एक्ट के नोटिस पर स्मिता देशमुख वाहन मालिक द्वारा यह लेख कर हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र दिया है कि उसके पिता श्यामकिशोर देशमुख से गुरूकृपा स्थल के सामने दुर्घटना घट गयी है, जप्ती पंचनामा प्र.पी 05 के अनुसार प्रश्नगत वाहन मय रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति जप्त की गयी है, जिसका खंडन अनावेदक द्वारा अभिलेख पर नहीं किया गया है। इसके अलावा साक्षी मधुबाला का कथन प्र.पी 06, दिनेश के कथन प्र.पी 07 में भी उनके समक्ष घटनाक्रम की पुष्टि साक्षी द्वारा की गयी है।

(21) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र.डी 1 अभियोग पत्र जो कि दिनांक 31.01.2024 को कारित दुर्घटना के संबंध में आवेदक दिनेश के विरूद्ध दर्ज अपराध क्र. 59/24 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.स. एवं धारा 181(3), 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में प्रस्तुत किया गया है तथा संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.डी.07 के अनुसार वाहन मालिक मधुबाला से दुर्घटनाकारी वाहन एमपी 48 एमएक्स 3759 बीमा पालिसी, रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति सहित जप्त किया गया है। प्र.डी 8 जो कि धारा 133 मो.व्ही.एक्ट का प्रमाण पत्र वाहन मालिक मधुबाला को प्रेषित किया गया है, तथा जिसमें वाहन मालिक द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया कि उक्त दुर्घटनाकारी वाहन दिनेश पिता भैयालाल द्वारा घटना दिनांक को चला रहा था, जिससे घटना स्थल गुरूकृपा अस्पताल के पास एक्सीडेंट हो गयी, उल्लेखित है तथा दिनेश फूलकर का ड्रायविंग लायसेंस नहीं है, उल्लेखित है। आवेदक दिनेश द्वारा बिना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन चलाने के कारण धारा 3/181 मो.व्ही.एक्ट के अंतर्गत एवं वाहन मालिक के विरूद्ध धारा 5/180 मो.व्ही.एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका खंडन आवेदक दिनेश द्वारा नहीं किया गया है।

(22) चूंकि दुर्घटना में आवेदक के विरूद्ध भी अपराध कायम हुआ हैं जिसे प्रतिपरीक्षण में आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है एवं दावे में आवेदक द्वारा दुर्घटना के समय खड़ा था, इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया जाना प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है एवं धारा 133 मो.व्ही.एक्ट के प्रमाण

continue..12

पत्र में मधुबाला द्वारा भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है बल्कि दुर्घटना होना स्वीकार किया है, इस स्थिति में स्कूटी खड़ी होने के तथ्य के आधार पर योगदायी उपेक्षा न होने के आधार से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त स्थिति में आवेदक की योगदायी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप दुर्घटना होना अभिलेख पर स्पष्ट है। इस प्रकार प्रकरण में आयी आवेदक एवं अनावेदक की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं है कि दुर्घटना अज्ञात वाहन से कारित हुई है, किन्तु यह प्रमाणित है कि उक्त दुर्घटना आवेदक की भी योगदायी उपेक्षा का परिणाम थी। अतः दुर्घटना में आवेदक की भी 50 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा मान्य जाती है।

(23) आवेदक को आई विकलांगता के संबंध में विकलांगता का प्रमाण पत्र प्र.पी 09 अवश्य प्रस्तुत किया है, किन्तु जारीकर्ता चिकित्सीय साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, इसके अलावा उसके दस्तावेज में लिखी गयी भाषा अपठनीय है, जिसे संबंधित चिकित्सक से स्पष्ट कर सकता था, जिसे आवेदक द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। इसके अलावा प्र.पी 09 के दस्तावेज में दिनांक में ओवर राइटिंग की गयी है, इसके बावजूद फीमर अस्थि में अस्थिभंग होने को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व की भांति कार्य करने में निश्चित रूप से स्थाई रूप से असमर्थ हुआ होगा, उपरोक्त स्थिति को, कार्य की एवं चोट की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये 15 प्रतिशत की स्थायी अपंगता प्रमाणित मान्य किया जाता है।

(24) मोटर यान अधि. की धारा 166 के अंतर्गत दुर्घटना प्रमाणित किये जाने हेतु आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में न्यायदृष्टांत **<u>विमलादेवी वि. हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एआईआर 2009 एससी 2819''</u>** में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि क्लेम प्रकरण में दुर्घटना को कठोरता से साबित नहीं किया जा सकता ओर ऐसे प्रकरण में तथ्यों को संदेह से परे प्रमाणित करने का सिद्धांत लागू नहीं होता है। **<u>''परमेश्वरी वि0 अमीरचंद एआईआर 2011 एससी 1504''</u>** के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मोटरयान अधिनियम से संबंधित क्लेम प्रकरण में दांडिक प्रकरण साबित किए जाने हेतु अनिवार्य

continue..13

सबूतों जैसा सिद्धांत लागू नहीं होता है। **सुनीता वि0 राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ए0आई0आर0 2019 एस0सी0 994** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि वाहन दुर्घटना दावा मामले में सबूत का स्तर संभावनाओं की प्रबलता का होना चाहिए न कि संदेह से परे होने का ऐसा कठोर स्तर जिसे आपराधिक मामलों में अनुसरित किया जाता है।

(25) अतः उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण से यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 31.01.2024 को समय रात्रि 09 बजे गुरूकृपा अस्पताल के पास बडोरा लोक मार्ग पर अनावेदक क्र. 01 ने अनावेदक क्र. 02 के स्वामित्व के वाहन स्कूटी क्र. एमपी 47 एमजे 7574 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर आहत दिनेश को टक्कर मारी, जिससे आहत दिनेश को गंभीर चोटें कारित होकर स्थायी अपंगता कारित हुई तथा यह प्रमाणित है कि दुर्घटना स्वयं आवेदक दिनेश की भी योगदायी उपेक्षा का परिणाम थी किन्तु यह प्रमाणित नहीं है कि दुर्घटना अज्ञात वाहन से कारित हुई । अतः **वाद प्रश्न क्रमांक 01, 03** का निराकरण **प्रमाणित** एवं **वाद प्रश्न क्रमांक 04** का निराकरण **प्रमाणित नहीं** होने के रूप में किया जाता है।

–(वाद–प्रश्न क्रमांक–05 का सकारण निष्कर्ष)–

(26) अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा यह अभिवाक लिया है कि दुघ टिना के समय अनावेदक क्र. 01 द्वारा दुर्घटनाकारी वाहन को बीमा पालिसी की शर्तों के उल्लंघन में ड्रायविंग लायसेंस, फिटनेस, परमिट के बिना चलाया जा रहा था। इस संबंध में बीमा कंपनी अनावेदक क्र. 03 द्वारा साक्षी बंशीधर पाल अना.सा.02 को परीक्षित कराया है, जिसके द्वारा कथन किया है कि वह जिला परिवहन कार्यालय बैतूल में सहायक वर्ग–2 में लिपिक के पद पर पदस्थ है। वह आज अपने साथ श्यामकिशोर देशमुख पिता बाबूलाल देशमुख का ड्रायविंग लायसेंस के पर्टीकुलर का रिकार्ड लेकर आया है। श्यामकिशोर का पहला ड्रायविंग

continue..14

लायसेंस नंबर एमपी48एन–2017–0053454 उसके कार्यालय से जारी हुआ था जिसकी वैधता अवधि दिनांक 15.05.2017 से दिनांक 14.05.2022 तक थी उक्त ड्रायविंग लायसेंस प्र.डी.18 जो पूर्व से पेश है एवं उसका पर्टीकुलर प्र.डी.19 है उसके पश्चात् श्यामकिशोर देशमुख का ड्रायविंग लायसेंस दिनांक 27.03.2024 को नवीनीकरण हुआ था जिसकी वैधता अवधि दिनांक 27.03.2024 से दिनांक 26.03.2029 तक है। उक्त लायसेंस का पर्टीकुलर प्र.डी.20 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर जिला परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला के हस्ताक्षर है। घटना दिनांक 31.01.2024 को श्यामकिशोर देशमुख के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नही था जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है।

(27) प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि श्यामकिशोर देशमुख के लायसेंस का दिनांक 27.03.24 को जो नवीनीकरण किया गया है उस समय वह फिट थे। दिनांक 14.05.22 से दिनांक 27.03.24 तक श्यामकिशोर देशमुख अनफिट थे या फिट थे उसे जानकारी नहीं है। दिनांक 27.03.24 को लायसेंस का नवीनीकरण करते समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था।

(28) आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी 05 जप्ती पत्रक अनुसार अनावेदक श्यामकिशोर से वाहन स्कूटी एमपी 47 एमजे 7574 एवं उसका बीमा, ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति जिसकी वैधता अवधि दिनांक 14.05.22 तक की होना उल्लेखित है, वाहन का रजिस्ट्रेशन जप्त किया जाना उल्लेखित है। उक्त दुर्घटनाकारी वाहन की बीमा पालिसी प्र.डी 16–सी जो कि स्मिता देशमुख के नाम से जारी की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक– 11.07.2023 से 10.07.2024 तक की है।

(29) अनावेदक श्यामकिशोर अना.सा.1 द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 31.01.2024 को उसके पास ड्रायविंग लायसेंस नही होने से पुलिस थाना बैतूल बाजार द्वारा उसके विरूद्ध

continue..15

अपराध पंजीबद्ध किया है उसमें उसके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 एवं उसकी बेटी स्मिता के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 लगायी है। उसकी बेटी के विरूद्ध जो दाण्डिक प्रकरण विचाराधीन है वह सिर्फ उसके पास घटना दिनांक 31.01.2024 को वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नही होने के कारण चल रहा है। दुर्घटना के समय उसका लायसेंस उपलब्ध था उसकी फोटोकॉपी प्रकरण में प्रस्तुत की है जो **प्र.डी.18** है, लायसेंस का नंबर एमपी48एन–2017–0053454 है। उक्त ड्रायविंग लायसेंस दिनांक 15.05.2017 को जारी हुआ था। **उक्त लायसेंस की वैधता अवधि दिनांक 15.05.2017 से 14.05.2022 तक की थी। घटना दिनांक 31.01.2024 को उसके पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नही था।** उसकी स्कूटी की बीमा पॉलिसी प्र.डी.16 उसकी बेटी के नाम से जारी हुई थी। प्र.डी.16 की बीमा पॉलिसी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों एवं बीमा पॉलिसी के शर्तों के अधीन जारी की थी। प्र.डी.16 के ए से ए भाग पर ''वैध ड्रायविंग लायसेंस के शर्तों का उल्लेख किया है''। घटना दिनांक 31.01.2024 को उसके पास स्कूटी चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नही था। स्वतः कहा कि रिनेवल नही हुआ था।

(30) अनावेदक बंशीधरपाल अना.सा.2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र.डी 20 ड्रायविंग लायसेंस जो कि श्यामकिशोर देशमुख के नाम से जारी किया गया है जिसकी वैधता अवधि दिनांक– 27.03.2024 से दिनांक– 26. 03.2029 तक की है, जिसका खंडन अनावेदक क्र.01, 02 की ओर नहीं किया गया है । उपरोक्त स्थिति में श्यामकिशोर अना.सा.1 प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ जिससे प्रश्नगत वाहन के चालक के द्वारा वैध ड्रायविंग लायसेंस धारण करते हुये चालन किया जाना प्रमाणित होता हो। उपरोक्त स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित है कि अनावेदक क्र. 01 द्वारा प्रश्नगत स्कूटी क्र. एमपी 47 एमजे 7574 को बिना ड्रायविंग लायसेंस के बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में घटना के समय चलाया जा रहा था। **अतः वाद प्रश्न क्र. 05 का निराकरण "प्रमाणित" होने के रूप में किया जाता है।**

continue..16

–(वाद–प्रश्न क्रमांक–02, 06 का सकारण निष्कर्ष)–

(31) व्यक्तिगत चोटों के मामलों में प्रतिकर के निर्धारण हेतु न्यायदृष्टांत **"राजकुमार वि. अजय कुमार (2011) 1 एस.सी.सी. 343"** के मामले में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि व्यक्तिगत चोटों में मामलों में मामले के तथ्यों के अनुसार निम्न शीर्षों में प्रतिकर दिलाया जाना चाहिए –

वित्तीय हानि या विशेष हानि

1. इलाज में हुआ खर्च, दवाईयां, अस्पताल खर्च, आवागमन खर्च, पौष्टिक आहार और विविधि खर्च।
2. आमदनी की हानि, जो आवेदक दुर्घटना न होती तो प्राप्तकर्ता इसके दो अपशीर्ष है।

ए. इलाज के दौरान की आमदनी हानि।

बी. स्थाई अयोग्यता के कारण भविष्य की आमदनी हानि।

3. भविष्य का मेडिकल खर्च

गैर वित्तीय हानि या साधारण हानि

4. शारीरिक पीड़ा व मानसिक वेदना।
5. रमणीयता या सौम्यता की हानि (और/या शादी की संभावनाएं)
6. लम्बे जीवन की प्रत्याशा में कमीं।

(32) आवेदक दिनेश आ.सा. 1 द्वारा अभिकथन किया है कि उसके दाहिने पुटठे के पास चोट लगी, उसे इलाज में करीब 20,000/–रूपये का खर्चा आया है, दवाई का खर्च 40,000/–रूपये, पौष्टिक आहार एवं खर्च 10,000/–रूपये, डॉ. की फीस 35,000/–रूपये, ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रूपये ऐसा करके कुल खर्चा 6,50,000/–रूपये का खर्च हुआ। प्रतिपरीक्षण में आवेदक द्वारा कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि उसका गुरूकृपा अस्पताल में इलाज हुआ था।

continue..17

उसने गुरूकृपा अस्पताल का कोई फाईनल बिल पेश नही किया। स्वतः कहा कि, जो बिल दिये थे वह पेश किये है। उसका संपूर्ण उपचार गुरूकृपा अस्पताल में हुआ। जिला अस्पताल बैतूल में उसका भर्ती रहकर कोई इलाज नही हुआ था। जिला अस्पताल बैतूल में उसका इलाज होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। सरकारी अस्पताल की एमएलसी प्रकरण में पेश नही की है।

(33) आवेदक के इलाज, जांच एवं दवाइयों में हुए व्यय के संबंध में दसतावेज प्र.पी 15 लगायत प्र.पी 30 के दस्तावेज पेश किए हैं । दस्तावेज जय गुरूदेव गुरूकृपा मल्टीस्पेशिलस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर बैतूल के सिरियल नंबर 6205 दिनांक 06.02.24 के बिल राशि 34,600/–रू को प्रदर्शित नहीं कराया गया है, न ही संबंधित बिल के प्रमाणन हेतु चिकित्सक को परीक्षित कराया गया है, इस स्थिति में उक्त बिल स्वीकार योग्य नहीं है, इसी प्रकार गुरूकृपा मेडिकल स्टोर दिनांक 01.02.24 राशि 20,000/–रू का बिल बिना हस्ताक्षरित रसीद है, जो अभिलेख पर प्रदर्शित नहीं करायी गयी है, इस कारण उक्त बिल भी स्वीकार योग्य नहीं है। जहां तक बिल प्र.पी 15 लगायत प्र.पी 30 में उल्लेखित राशियां को प्राप्त करने का हकदार होने का प्रश्न है, संबंधित जी.एस.टी इन्वाइस के संबंध में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और प्रत्येक बिल का गुरूकृपा मेडिकल स्टोर अर्थोराइज्ड सिग्नेचरी का कालम बना है, इसके बावजूद उक्त कालम में सबंधित अर्थोराइज्ड सिग्नेचरी के हस्ताक्षर नहीं है और संपूर्ण बिलों में उक्त कालम निरंक है, उक्त बिलों को प्रमाणित करने के लिये संबंधित चिकित्सक अथवा मेडिकल के संचालक को परीक्षित नहीं कराया गया है, जो स्पष्ट कर सकता था कि उसके द्वारा बिल जारी किये गये हैं । न ही उनमें उल्लेखित मेडिकल के प्रिस्क्रिप्शन पर्चे समर्थन में प्रस्तुत किए हैं उपरोक्त स्थिति में प्र.पी 15 लगायत 30 में उल्लेखित राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

continue..18

(34) आवेदक ने दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उसे दाहिने पैर में अस्थिभंग होकर स्थायी अपंगता कारित हुई है, अतः स्थायी अपंगता के कारण आवेदक की कार्यात्मक हानि का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, आवेदक आ.सा.1 ने उसके अभिकथन में दुर्घटना के समय उसकी आयु कितनी थी ? आवेदक की ओर से मूल आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके अलावा भी आयु निर्धारण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और आधार कार्ड आयु निर्धारण संबंधी दस्तावेज नहीं है, उपरोक्त स्थिति में मेडिकल दस्तावेज के आधार पर आयु निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज गुरूकृपा अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड प्र.पी 14 में आवेदक की आयु 54 वर्ष उल्लेखित है, उक्त को आधार मानते हुये दुर्घटना के समय **आवेदक की आयु 54 वर्ष होना निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार वाद प्रश्न क्र. 02 का निराकरण किया जाता है।**

(35) दुर्घटना के समय आवेदक की आय कितनी थी ? इस संबंध में आवेदक दिनेश आ.सा.1 द्वारा प्रकट किया है कि वह ग्प्रम कोटवार है, उसे शासन से करीब 10 एकड़ भूमि मिली है, पहले वह खेती करता था, अब खेती करते नहीं बनता, उसने तीन साल के लिये राजेश पिता कल्लू को खेत ठेके पर दिया है, सालाना उसे 1,50,000/—रू का नुकसान हुआ, तीन साल का 4,50,000/—रू का नुकसान हुआ है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह ग्राम बैतूल बाजार में कोटवार है, उसे शासन की ओर से 1000/—रू प्रतिमाह आय प्राप्त होती है, यह भी स्वीकार किया है कि उसे दुर्घटना के पहले और वर्तमान में भी शासन से आय प्राप्त हो रही है। उसके द्वारा ग्राम कोटवार होने के संबंध में और नियुक्ति पत्र या मानदेय मिलने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है, न ही साथ लेकर आया है। जमीन प्राप्त होने के संबंध में कोई दस्तावेज, खसरा किश्तबंदी प्रस्तुत नहीं किए हैं। वह कोटवार के पद पर पदस्थ है, इसलिये जमीन उसके नाम पर है, उसने दुर्घटना के पहले का और बाद का आय प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। ऐसा कोई प्रमाण पत्र पटवारी

continue..19

का या तहसीलदार का पेश नहीं किया है जिससे उसे एक्सीडेंट के बाद से कृषि भूमि की क्षति हुई है।

(36) आवेदक द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में साक्षी राजेश आ.सा.02 को परीक्षित कराया है, उसके द्वारा अभिकथन किया है कि आवेदक दिनेश के पास करीब 10 एकड़ कृषि भूमि है, जो ग्राम जगधर और बैतूल बाजार में है एक्सीडेंट के कारण कृषि कार्य नही बनने के कारण उसने जमीन कृषि भूमि ठेके पर लिया था। ठेके पर उसने तीन वर्ष के लिया था एक साल का देढ़ लाख रूपये दिनेश को देना तय हुआ था इस तरह साढे चार लाख रूपये ठेके से प्राप्त की थी। ठेके से उसे प्रतिवर्ष देढ़–दो लाख रूपये प्राप्त होते थे। जगधर की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए डेम का पानी आता था और बैतूल बाजार की कृषि भूमि पर नहर से सिचाई की जाती थी। बरसात के समय मे दो फसल की बोनी करता था धान, मक्का और सोयाबीन और गरमी की फसल में गेंहू की फसल करते थे(साल में दो फसल)। 2024 में जुलाई माह में कृषि भूमि का ठेकानामा देढ़ लाख रूपये सालाना की लिखापढ़ी की थी जो 100 रूपये के स्टांप पर है, तीन साल के लिए ठेकानामा बनाया है जो प्र.पी.8 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। कृषि भूमि ठेके पर लेने से उसे करीब प्रतिवर्ष देढ़–दो लाख की बचत होती थी।

(37) प्रतिपरीक्षण में साक्षी राजेश माहोरे आ.सा. 2 ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.8 का ठेकानामा में यह उल्लेख नही है कि देढ़ लाख रूपये कब–कब देना है और कैसे भुगतान करना है। स्वतः कहा कि नगद देना। नगद देने वाली बात का उल्लेख प्रपी.8 में नही है। ठेकानामा प्र.पी.8 का स्टांप कहां से लिया और किसने लिया इस बात की कोई जानकारी नही है। प्र.पी.8 का स्टांप कहां लिखा गया और कहां नोटरी हुई इस बारे में उसे कोई जानकारी नही है। फिर कहा कि कोर्ट परिसर में ही लिखापढ़ी हुई थी। प्र.पी.8 का दस्तावेज कौन से अधिवक्ता द्वारा नोटराइज किया गया उसे इस बात की जानकारी नही है। उसके द्वारा दिनेश फुलकर की खेती करने के संबंध में आय–व्यय का कोई लेखा जोखा नही

continue..20

रखा। खेती में बीज खरीदने या अन्य खर्चों के संबंध मे कोई हिसाब किताब उसके पास नही है। उसके द्वारा दिनेश को हर वर्ष देढ़ लाख रूपये देने के संबंध में कोई लिखापढ़ी नही है। वह दिनेश को अनाज बेचकर पैसे देता था। उसे न्यायालय में साक्ष्य देने बाबत कोई समंस नही मिला है।

(38) उक्त स्थिति में आवेदक द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसे दुर्घटना के पहले और वर्तमान में भी शासन से आय प्राप्त हो रही है। उसके द्वारा ग्राम कोटवार होने के संबंध में और नियुक्ति पत्र या मानदेय मिलने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है, न ही साथ लेकर आया है। जमीन प्राप्त होने के संबंध में कोई दस्तावेज, खसरा किश्तबंदी प्रस्तुत नहीं किए हैं। आवेदक द्वारा खतौनी अथवा जमाबंदी प्र0पी 10, खसरा प्र.पी 11, 12, 13 स्वयं के नाम के अवश्यक प्रस्तुत किए हैं और ठेकानामा 08 जुलाई 2024 का प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा स्वयं को कोटवार होकर, 1000/–रू की आय प्रतिमाह शासन से प्राप्त करना बताया है, किन्तु उसके कोटवार होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं और शासन द्वारा उसे दस एकड़ कृषि भूमि दी गयी, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, उसने दुघ र्टना के पहले और बाद का कोई आय प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है, उसे ऐक्सीडेंट के बाद कोई कृषि भूमि की क्षति हुई इस संबंध में भी कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, अतः यह प्रमाणित नहीं है कि उसे कृषि भूमि को ठेके पर देने से तीन साल का 450000 रू का नुकसान हुआ तथा यह भी प्रमाणित नहीं है कि वह कोटवार का कार्य कर शासन से उसे 1000/–रू प्रतिमाह आय अर्जित होती है और शासन ने उसे कृषि हेतु दस एकड़ भूमि दी है, इस स्थिति में आवेदक की मानक आय का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(39) ऐसी स्थिति में **न्यायदृष्टांत सपना व अन्य विरूद्ध मांगीलाल व अन्य 2021 एसीजे 957** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि श्रमिक की मृत्यु के मामले में आय के निर्धारण हेतु दुर्घटना दिनांक को

continue..21

संबंधित जिले के श्रम अधिकारी परिपत्र/अधिसूचना के दैनिक वेतन को विचार में लिया जा सकता है । श्रमायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर क्र. 1/11/अन्वे/पांच 2024/14567—816 इंदौर दिनांक 24.05. 2024 अनुसार दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक की स्थिति में अकुशल श्रमिकों के लिये महगाई भत्ते की दर सहित अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिमाह 9825/—रू प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, जिसकी प्रति प्रकरण में संलग्न की गयी, दुर्घटना दिनांक 31.01.2024 की है, जिसको आधार मानते हुये तथा अवकाश के दिनों तथा माह में प्रत्येक दिवस पर मजदूरी का कार्य मिलने की अनाधिसंभाव्यता एवं अस्वस्थता को दृष्टिगत रखते हुये मृतक की आय 9000/—रूपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है।

(40) आवेदक को दाहिने पैर में चोटों के कारण अस्थिभंग होने से 15 प्रतिशत की स्थायी अपंगता मान्य की गयी है। इस प्रकार आवेदक को दुर्घटना में आई चोट के कारण 15 प्रतिशत आय की हानि हुई है एवं आवेदक की मासिक मानक आय 9000/—रूपये है, जिसके आधार पर उसे आय की हानि 1350/—रूपये मासिक एवं 16,200/—रूपये वार्षिक होती है, दुर्घटना के समय आवेदक की आयु 54 वर्ष होना निर्धारित हुआ है । अतः विधि अनुसार 11 का गुणांक प्रयोज्य होगा। अतः आवेदक को कुल आय की हानि 1,78,200/—रूपये होती है, इसमें यदि भविष्य में आय में वृद्धि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये विधि अनुसार 10 प्रतिशत राशि 17,820/—रू. को जोड़ा जाए तो कुल राशि 1,96,020/—रू होती है। अत : आवेदक को भविष्य की आय की हानि के रूप में **1,96,020/—रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित है।

(41) प्रकरण में आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्र.पी 14 के अनुसार आवेदक दुर्घटना के पश्चात आवेदक गुरूकृपा मल्टीस्पेश्लिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में दिनांक— 31.01.2024 से 15.02.2024 तक भर्ती रहकर इलाजरत रहा है। उक्त अवधि में आवेदक को एक सहायक की आवश्यकता भी पड़ी होगी, जिसके लिये आवेदक **को 5,000/— रूपये** एवं आवागमन, विशेष आहार के संबंध में **क्रमशः 4,000/—रू,**

4000/–रूपये राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इलाज की अवधि एवं आयी चोटों के कारण पूर्व स्थिति में आने में निश्चित रूप से **तीन माह** का समय लगा होगा, इस दौरान उसके कार्य की हानि भी हुयी है जिसके संबंध में **27000/–रू कार्य की हानि** के मद में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

(42) प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आवेदक को दाहिने पैर में अस्थिभंग हुआ है, जिसके कारण आवेदक तीव्र शारीरिक और मानसिक पीड़ा में रहा है । अतः मानसिक कष्ट एवं शारीरिक पीड़ा के कष्ट में आवेदिका को 3**0,000/– रूपये** की राशि दिलाई जाना न्यायोचित है।

(43) आवेदक द्वारा अभिकथन किया है कि गुरूकृपा अस्पताल में एक्सरे वगैरह हुआ और इलाज शुरू हुआ, इलाज के दौरान ऑपरेशन कर पैर में राड डाली गयी अभी भी रॉड पैर में डली है, डॉ. ने सलाह दिया कि, रॉड निकालने के लिए फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें एक, डेढ़ लाख रूपये का खर्चा आयेगा। किन्तु आवेदक द्वारा इस संबंध में कोई एस्टीमेट प्रस्तुत नहीं किया है, न ही किसी चिकित्सीय साक्षी को परीक्षित कराया है। उक्त स्थिति में आवेदक भविष्य के इलाज के व्यय के मद में क्षतिपूर्ति राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(44) अतः आवेदक निम्नानुसार राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है :–

कमांक	**मद में**	**राशि**
1.	उपचार के मद में	निरंक
2.	भविष्य की हानि के मद में	1,96,020/–
3.	शारीरिक पीड़ा, मानसिक वेदना	30,000/–
4.	पौष्टिक आहार	4,000/–

continue..23

5.	आवागमन व्यय,	4,000 / —
6.	भर्ती रहने से कार्य में हानि, अटेण्डर पर व्यय	27,000+5000=32000 / —
	कुल प्रतिकर राशि	**2,66,020 / —(दो लाख छियासठ हजार बीस रूपये)**

(45) अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि अनावेदक क. 01 के द्वारा बिना ड्रायविंग लायसेंस के वाहन का परिचालन किया है, इसलिये क्षतिपूर्ति के लिये बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत मिस्लेनियस अपील न. 125/2015 आई.सी.आई.सी. आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध ननकी बाई वगैरह, मिसलेनियस अपील क. 157/2015 श्यामसुंदर विरूद्ध ननकी बाई वगैरह, न्यायदृष्टांत सरदारी एवं अन्य विरूद्ध सुशील कुमार एवं अन्य सिविल अपील क. 1733 वर्ष 2008 निर्णय दिनांक 04.03.2008, न्यायदृष्टांत एम.ए. न. 467/2010 शंकरलाल विरूद्ध संजय कुमार एवं अन्य निर्णय दिनांक 19.10.2016, प्रस्तुत किए हैं, जो कि प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न होने से इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

(46) साक्ष्य से यह प्रमाणित हुआ है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क. 1 वाहन चालक होकर अनावेदक क. 2 वाहन का स्वामी था तथा उक्त दुर्घटनाकारी वाहन अनावेदक क. 03 के पास बीमित था, किन्तु साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हुआ है कि अनावेदक क. 1 द्वारा दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाकारी वाहन का चालन, वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के बिना किया गया है ।

(47) **मोटर यान अधि. 1888 की धारा 5** के अनुसार वाहन स्वामी का यह दायित्व है कि वह देखे कि उसका वाहन ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा जिसके पास अधि. की धारा 3 एवं 4 के अनुसार वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति है, प्रकरण में प्रस्तुत हुई साक्ष्य से यद्यपि यह प्रमाणित है कि अनावेदक क. 1 दुर्घटनाकारी वाहन चालक के पास वाहन चालन

continue..24

अनुज्ञप्ति नहीं थी, किन्तु उक्त तथ्य वाहन स्वामी अनावेदक क्र.02 के ज्ञान में था ऐसी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। **न्याय दृष्टांत पप्पू व अन्य विरूद्ध विनोद कुमार रांभा व अन्य एआईआर 2018 एससी 592 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. विरूद्ध सुवर्ण सिंह एआईआर 2004 एससी 1531** के आधार पर यह अवधारित किया गया है कि The next question is: whether in the fact situation of this case the insurance company can be and ought to be directed to pay the claim amount, with liberty to recover the same from the owner of the vehicle (respondent No.1)? This issue has been answered in the case of *National Insurance Company Ltd.* (supra). In that case, it was contended by the insurance company that once the defence taken by the insurer is accepted by the Tribunal, it is bound to discharge the insurer and fix the liability only on the owner and/or the driver of the vehicle. However, this Court held that even if the insurer succeeds in establishing its defence, the Tribunal or the Court can direct the insurance company to pay the award amount to the claimant(s) and, in turn, recover the same from the owner of the vehicle. The three-Judge Bench, after analysing the earlier decisions on the point, held that there was no reason to deviate from the said well-settled principle.

(48) चूंकि दुर्घटना में आवेदक की भी 50 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा अभिनिर्धारित की है ऐसी दशा में आवेदक उक्त राशि **2,66,020/—(दो लाख छियासठ हजार बीस रूपये)** में से 50 प्रतिशत राशि कम करते हुये प्रतिकर राशि **1,33,010/—रु0 (शब्दों में एक लाख तैंतीस हजार दस रूपये)** अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी इस निर्देश के साथ कि वह अधिनिर्णय की राशि आवेदक को अदा करे एवं उसे अनावेदक क्रमांक 1, 2 से वसूल करने की अधिकारी रहेगी, भुगतान हेतु उत्तरदायी है।

(49) आवेदक ने प्रतिकर राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है किंतु आवेदक को न्यायदृष्टांत **''अम्बाती वेज बरूहा वि0 डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 1817''** एवं **''तमिलनाडू स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड**

continue..25

विरूद्ध एस0राजाप्रिया 2005 ए0सी0जे0 1441 ए0सी0'' के प्रकाश में राष्ट्रीयकृत बैंको की वर्तमान प्रचलित ब्याज दर के अनुसार ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदक प्रतिकर राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज की दर से रूपये पाने के भी अधिकारी है।

—(वाद—प्रश्न क्रमांक—07 का सकारण निष्कर्ष)—

—(सहायता एवं व्यय)—

(50) अतः आवेदन पत्र आंशिक रूप से **स्वीकार** कर आदेशित किया जाता है कि —

01—अनावेदक क्र—3 आवेदक को प्रतिकर राशि **1,33,010/—रु0 (शब्दों में एक लाख तैंतीस हजार दस रूपये)** अधिनिर्णय दिनांक से डेढ़ माह की अवधि में अदा करे।

02. आवेदक को आई चोटों को एवं इलाज में हुए व्यय को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिकर की संपूर्ण राशि ब्याज सहित ई.आर.पी. के माध्यम से एम.पी.एच.सी. के एम.ए.सी.टी. पोर्टल पर जमा किये जाने पर आवेदक को उक्त प्रतिकर राशि एकमुश्त दिलायी जावे।

03. आवेदक अवार्ड राशि में क्षतिपूर्ति आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत बार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

04— अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी उसके द्वारा आवेदकगण को भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि अनावेदक क्र. 01, 02 से वसूल करने की अधिकारी रहेगी।

05— अनावेदकगण अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे साथ ही आवेदक का वाद व्यय भी वहन करेंगे।

06— अभिभाषक शुल्क 2000/—रुपये अथवा सूची अनुसार प्रमाणित होने पर जो भी कम हो देय होगा।

continue..26

अधिनिर्णय की प्रति संबंधित पक्षकारों को निःशुल्क दी जावे।

(51) तद्नुसार व्यय–तालिका बनाई जावे।

अवार्ड खुले न्यायालय में हस्ता0 दिनांकित कर पारित किया गया ।	मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
सही / –	सही / –
(कैलाश नारायण अहिरवार)	**(कैलाश नारायण अहिरवार)**
द्वितीय अति.मो.दु.दा.अधिकरण बैतूल जिला– बैतूल	द्वितीय अति.मो.दु.दा.अधिकरण बैतूल जिला– बैतूल

continue..27

KAILASH NARAYAN AHIRWAR Digitally signed by KAILASH NARAYAN AHIRWAR Date: 2026.05.06 17:58:19 +0530